भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 418

30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: कोल्ड स्टोरेज की सुविधा में सुधार किया जाना

418. श्री भोलानाथ (बी.पी. सरोज):

श्री दिलेश्वर कामैत:

श्री उपेन्द्र सिंह रावत:

श्री रवनीत सिंह बिट्टू:

श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोल्ड स्टोरेज की सुविधा न होने की वजह से गत तीन वर्षों में कृषि उत्पादों की हुई कुल बर्बादी का राज्य–वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अखिल भारतीय कोल्ड स्टोरेज में बिहार के योगदान की प्रतिशतता को बढ़ाकर स्टोरेज के अभाव में फसलों की हो रही बर्बादी को कम करने के लिए किसी व्यापक कार्यक्रम पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों व संगठनों के लिए दिशा-निर्देश को आसान बनाने और उन्हे सहायता प्रदान करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): पिछले तीन वर्षों में शीतागार सुविधाओं की कमी के कारण कृषि उपज की बर्बादी के संबंध में ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए और 2015 में प्रकाशित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के केंद्रीय फसलोपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएचईटी) द्वारा किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि मात्रात्मक फसल का परिमाण और फसलोपरांत हानि 4.65% से 5.99% (अनाज), 6.36% से 8.41% (दाल), 3.08% से 9.96% (तिल), 6.70% से 15.88% (फल), 4.58% से 12.44% (सब्जियां), 5.23% से 10.52% (मछली), 2.71% (मांस) और 0.92% (दूध) की सीमा में थे।

(ख) से (ङ): सरकार कृषि/बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानियों को कम करने के लिए निम्नानुसार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकारों के माध्यम से शीतागार की स्थापना सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह घटक उद्यमियों, निजी कंपनियों, सहकारी समितियों, किसान समूहों आदि के बीच वाणिज्यिक उद्यमों के माध्यम से मांग/उद्यमी संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में स्वीकार्य परियोजना लागत के 35 प्रतिशत और पहाड़ी एवं अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत की दर से ऋण सम्बद्ध पार्श्वांत राजसहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "बागवानी उत्पादों के लिए शीतागार और भंडागार के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना लागू कर रहा है। यह योजना मांग/उद्यमी संचालित है जिसके तहत सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजीगत लागत के 35 प्रतिशत और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण और 5000 मीट्रिक टन से 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता का शीतागार और नियंत्रित वातावरण (सीए) का भंडागार के लिए ऋण सम्बद्ध पार्श्वांत राजसहायता उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) बागवानी और गैर-बागवानी उत्पाद के फसलोपरांत हानि को कम करने एवं किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन और परिरक्षण अवसंरचना के लिए एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, मंत्रालय भंडारण और परिवहन अवसंरचना हेतु सामान्य क्षेत्रों के लिए 35 प्रतिशत की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों के लिए लिए 50 प्रतिशत की दर से और विकिरण सुविधा सहित एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये की अधिकतम अनुदान सहायता के अध्यधीन मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एकीकृत शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना व्यक्तियों, उद्यमियों के समूहों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), एनजीओ, केंद्रीय / राज्य पीएसयू आदि द्वारा की जा सकती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग देश भर में समेकित कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की एक उप-योजना, कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) को भी लागू कर रहा है। एएमआई मांग संचालित, ऋण सम्बद्ध पार्श्वांत राजसहायता योजना है। योजना के तहत, भंडारण अवसंरचना सहित कृषि विपणन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु मैदानी क्षेत्रों के लिए 25% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 33.33 प्रतिशत की दर से लाभार्थियों जैसे किसानों, व्यक्तियों, कृषि-उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए राजसहायता उपलब्ध है।

*****